

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

सं.संख्या-टी3/योजना-50/2013- 1461 /पटना, दिनांक 12/05/16  
प्रेषक,

शैलेश कुमार,  
संयुक्त सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

विषय:- पूर्व से स्थापित औ0प्र0संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि 100.00 लाख (एक करोड़ )रुपये मात्र की व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार सूचित करना है कि पूर्व से स्थापित औ0प्र0संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना योजना की स्वीकृति विभागीय पत्र संख्या 228 दिनांक 13-2-2014 के द्वारा निम्नलिखित संस्थानों में दी गई थी:-

क्रम सं०	औ0प्र0संस्थान का नाम	व्यवसाय	स्वीकृत यूनिट	व्यवसाय अनुदेशक के स्वीकृत पद
1	औ0प्र0संस्थान, नवादा	इलेक्ट्रीशियन	(1+1) यूनिट	2
2	औ0प्र0संस्थान, बक्सर	इलेक्ट्रीशियन	(2+2) यूनिट	4
3	औ0प्र0संस्थान, बेतिया	ड्राफ्ट्समैन सिविल	(1+1) यूनिट	2
4	औ0प्र0संस्थान, बेगूसराय	फीटर	(2+2) यूनिट	4
5	औ0प्र0संस्थान, दरभंगा	मेकेनिक मोटर व्हिकल	(1+1) यूनिट	2
	योग		14 यूनिट	14 पद

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना में

0101	वेतन-	12,00,000.00
0103	जी0या0भत्ता-	15,00,000.00
0104	मकान किराया भत्ता-	2,20,000.00
0106	चिकित्सा भत्ता-	3,00,000.00
0107	अन्य भत्ता-	2,00,000.00
	<b>योग वेतन एवं भत्ते-</b>	<b>34,20,000.00</b>
11 01	यात्रा व्यय	40,000.00
13 01	कार्यालय व्यय-	15,00,000.00
28 01	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	10,00,000.00
52 01	मशीनें एवं उपस्कर	40,40,000.00
	<b>योग-</b>	<b>1,00,00,000.00</b>

(रुपये एक करोड. मात्र)

रुपये एक करोड मात्र की राशि का बजट उपबंध है। पूर्व से स्थापित औ0प्र0संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना योजना को वित्तीय वर्ष 2016-17 में रुपये एक करोड. मात्र के व्यय पर स्वीकृति प्रदान की

जाती है। विमुक्त राशि का उपयोग स्थापित औ0प्र0संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करने से संबंधित योजना हेतु व्यय नियमानुसार किया जा सकेगा।

3. कय किए गए मशीनों एवं उपस्करों का इस्तेमाल नहीं होने की स्थिति में संबंधित यूनिट के प्रभारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को जिम्मेवार माना जायेगा।
4. सभी सामग्रियाँ प्राधिकृत डिलर/अधिकृत विक्रेता द्वारा आपूर्ति की जायेगी जिसके गुणवत्ता के लिए संबंधित प्राचार्य जिम्मेवार होंगे।
5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार,पटना होंगे। निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। जिन्हें आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की जायेगी।
6. इस योजना पर होने वाला व्यय शीर्ष 2230 श्रम और रोजगार 03 प्रशिक्षण 003 शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण मांग संख्या 26, 0105 पूर्व से स्थापित औ0प्र0संस्थान में नया व्यवसाय प्रारंभ करना विपत्र कोड पी0-2230030030105 स्कीम कोड LAB-5678 के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
7. प्रस्ताव में विभागीय माननीय मंत्री एवं सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या-टी3/यो0-50/2013 के पृष्ठ-62/टि0 पर प्राप्त है।
8. प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संख्या-टी3/यो0-50/2013 के पृष्ठ-65/टि0 पर प्राप्त है।
9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2561 दिनांक 17-4-98 की कंडिका -2 के अनुसार राशि विमुक्त किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

संयुक्त सचिव 12/5/16

श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक:-टी3/यो0-50/2013- 1461 /पटना,दिनांक 12/05/16

प्रतिलिपि:-योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव 12/5/16

श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक:-टी3/यो0-50/2013- 1461 /पटना,दिनांक 12/05/16

प्रतिलिपि:-निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/ प्राचार्य, औ0प्र0संस्थान, नवादा, बक्सर, बेतिया, बेगूसराय एवं दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी नवादा, बक्सर, बेतिया, बेगूसराय एवं दरभंगा/बजट शाखा (सरकार पक्ष)/ निदेशालय बजट शाखा/मासिक व्यय शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव 12/5/16

श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक:-टी3/यो0-50/2013- 1461 /पटना,दिनांक 12/05/16

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना को विभागीय वेवसाइट पर अप लोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव 12/5/16

श्रम संसाधन विभाग।